सीएसआईआर-केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान
पिलानी (राजस्थान) 333031

सं. 35/1/2011-रा.भा. दिनांक : 09.11.2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय : भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी हिंदी विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में दिशानिर्देश ।

माननीय संसदीय राजभाषा समिति सीएसआईआर की विभिन्न प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निरीक्षण के दौरान हिंदी विज्ञापनों के प्रकाशन को राजभाषा नीति के अनुरूप न किए जाने पर आपत्ति व्यक्त करती रही है। इस संबंध में सीएसआईआर मुख्यालय के पत्र सं. 20-24(3)/2001-रा.भा., दिनांक 05-10-2017 के साथ संलग्न भारत सरकार के राजभाषा विभाग, गृहमंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन सं. 20012/01/2017-रा.भा. (नीति), दिनांक 30.06.2017 सीएसआईआर-सीरी के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी के लिए जारी किया जा रहा है।

संस्थान के सभी संबंधित अनुभागों/विभागों/प्रभागों से अनुरोध है कि हिंदी विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में कृपया माननीय राष्ट्रपति जी के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

यह कार्यालय ज्ञापन सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(रमेश बौरा) 9/11/2017
हिंदी अधिकारी

संलग्नक :

1. सीएसआईआर मुख्यालय का पत्र सं. 20-24(3)/2001-रा.भा., दिनांक 05-10-2017
2. राजभाषा विभाग, गृहमंत्रालय का का. ज्ञा. सं. 20012/01/2017-रा.भा. (नीति), दिनांक 30.06.2017

प्रतिलिपि :

1. निदेशक सचिवालय
2. प्रशासन नियंत्रक कार्यालय
3. सभी एरिया समन्वयक
4. सभी अनुभाग/प्रभाग प्रमुख
5. प्रभारी, एनएमसी – संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
6. सूचना पट्ट
7. संबंधित फाइल

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली–110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001

Hindi Office
14/10/17

सं. 20–24(3)/2001–राभा
Dated दिनांक : 05.10.2017

सेवा में

सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/प्रधान

विषय : हिंदी विज्ञापनों पर व्यय के संबंध में

महोदय,

संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप–समिति समय–समय पर सीएसआईआर मुख्यालय तथा उसकी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निरीक्षण के समय विज्ञापनों को राजभाषा नीति के अनुरूप न दिए जाने पर आपत्ति प्रकट करती रही है।

इस विषय में भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, चौथा तल, एन.डी.सी.सी–2 भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली–1 द्वारा दिनांक 30.06.2017 को जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 20012/01/2017–रा.भा. (नीति) की प्रति आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि आप अपनी प्रयोगशाला/संस्थान में इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराएं।

भवदीया,

(वंदिता)
हिंदी अधिकारी

संलग्नक : यथोक्त

Phones : EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303
Fax : 91-11-23714788
Website : http://www.csir.res.in

20012/01/2017-रा.भा.(नीति)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

चौथा तल, एन.डी.सी.सी-2 भवन

जय सिंह रोड, नई दिल्ली - 01

दिनांक : 30 जून 2017

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय : मंत्रालयों/विभागों द्वारा दिये जाने वाले हिंदी विज्ञापनों पर व्यय के संबंध में।

कृपया राजभाषा विभाग के संकल्प सं० 20012/01/2017-रा.भा.(नीति) दिनांक 31.03.2017 का अवलोकन करें, जो संसदीय राजभाषा समिति की सिफ़ारिश के खंड 9 में की गई 117 संस्तुतियों पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश के संबंध में है।

2. संस्तुति सं0 88 मंत्रालयों/विभागों द्वारा विज्ञापनों पर किए जाने वाले व्यय के संबंध में है जिस पर राष्ट्रपति जी के आदेश इस प्रकार हैं -

सं	संस्तुति	राष्ट्रपति जी के आदेश
88	समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार सभी मंत्रालयों/कार्यालयों को विज्ञापन की कुल राशि का न्यूनतम 50 प्रतिशत व्यय हिंदी विज्ञापनों पर करना चाहिए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अक्टूबर, 2007 से लागू नई विज्ञापन नीति में समिति की उक्त सिफारिश के अनुसार समुचित संशोधन किया जाना चाहिए।	संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन खंड - 8 की सिफ़ारिश सं० 70 पर लिए गए आदेश को अधिक्रमित करते हुए खंड - 9 की सिफ़ारिश सं० 48 एवं 88 पर की गई संस्तुतियां इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है की मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों / उपक्रमों आदि द्वारा जो भी विज्ञापन अंग्रेजी / क्षेत्रीय भाषाओं में दिये जाते हैं, उन्हें हिंदी भाषा में अनिवार्य रूप से दिया जाएगा।

3. अतः केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों / उपक्रमों से अपेक्षित है की विज्ञापन संबंधी उपर्युक्त आदेश का दृढ़तापूर्वक पालन सुनिश्चित किया जाए।

संदीप 30/06/17

(संदीप आर्य)

निदेशक (कार्यान्वयन)

सेवा में,

निदेशक (प्रशासन), सभी केंद्र सरकार के मंत्रालय/विभाग

प्रतिलिपि: वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (एन.आई.सी.) कृपया वेबसाइट पर अपलोड करें।